

डिक्री बमुकदमें ईवतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- नया 273/2012 (पुराना वाद संख्या 204/1988)

वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या:- 88 आरटीए

1. मुखत्यारकौर पुत्री चनन सिंह पत्नी श्री बिकरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी रामा तहसील तलवंडी साबो जिला बटिण्डा (पंजाब)
2. देवकौर पुत्री चननसिंह पत्नी श्री गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी रामा तहसील तलवंडी साबो जिला बटिण्डा (पंजाब)

वादीगण

बनाम

गुरदेव सिंह पुत्र कपूरसिंह (फौत)

1. परमजीतसिंह | पुत्रगण स्व.गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी करीरावाली तहसील जैतो
2. रणजीत सिंह | जिला फरीदकोट
3. बंशोकौर पुत्री स्व. गुरदेव सिंह (फौत)
- 3/1 गुरमेल सिंह |
- 3/2 लखवीर सिंह | पुत्रगण स्व. बंशोकौर पुत्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी फुलोमिठी तहसील संगत
- 3/3 राम सिंह | जिला बटिण्डा (पंजाब)
4. खुम्भीकौर पुत्री गुरदेवसिंह पत्नी नक्षत्र सिंह जाति जटसिख नि.चक फतेहसिंहवाला तह.नथाना जिला बटिण्डा (पंजाब)

5. वीसकौर पुत्री गुरदेव सिंह (फौत)

गुरदेव सिंह पुत्र स्व.वीराकौर पत्नी दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी चक फतेहसिंहवाला तहसील नथाना जिला बटिण्डा (पंजाब)

प्रतिवादीगण

तथा



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 07/1989

दावा बाबत इस्तकरार हक

1. हरनेक सिंह पुत्र श्री चनन सिंह | अकवाम जटसिख सा.शेरगढ़ तहसील संगरिया


2. बलजीतकौर पत्नि हरनेकसिंह

वादीगण

बनाम

1. गुरदेव सिंह पुत्र श्री कपूर सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया
2. मुखत्यार कौर पुत्री चनन सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया।
3. देवकौर पुत्री चनन सिंह जटसिख सा.रामा तहसील तलवंडी जिला बटिण्डा (पंजाब)

प्रतिवादीगण


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई वकील प्रतिवादीगण मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती है कि वादी हरनेक सिंह, बलजीतकौर ने अपने वाद संख्या 07/1989 मे वसीयत के आधार पर चाहा गया अनुतोष इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं वादी मुखत्यार कौर, देवकौर ने संशोधित वाद संख्या 273/2012 में चनन सिंह की भूमि का पूर्व में गुरदेव सिंह पुत्र कपूर सिंह के पक्ष में निष्पादित इन्तकाल के संबंध में चाहा अनुतोष स्वीकार किया जाकर उक्त इन्तकाल निरस्त कर निम्नानुसार डिक्री किया जाता कि चक 15 एमकेएस खाता संख्या 42/41 में कुल हिस्सा 15.942 है. जमाबन्दी सम्वत 2043 में 1/6 हिस्सा तथा चक 16 एमकेएस के खता संख्या 57/60 जमाबन्दी सम्वत 2042 में कुल हिस्सा 19.041 है.मे से 1/6 हिस्सा गुरदेव सिंह पुत्र कपूर सिंह के नाम दर्ज कुषि भूमि का मुखत्यार कौर, देवकौर पि. चननसिंह को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त चको के उक्त खातो से गुरदेव सिंह पुत्र कपूर सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तथा रिसीवर तहसीलदार राजस्व संगरिया को आदेश दिये जाते है कि वह रिसीवर शुद्धा भूमि का कब्जा वादीगण मुखत्यार कौर व देव कौर को सुपुर्द कर नियमानुसार उक्त रिसीवर शुद्धा जमा राशि वादीगण मुखत्यार कौर व देव कौर को दिया जाना सुनिश्चित करे।

न्यायहित में आदेश क्रियान्विति 30 दिवस अथवा अपील में अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो स्थिगित की जाती है। तत्पश्चात् नियमानुसार पक्षकार आदेश की पालना करवाने हेतु स्वतन्त्र है।

निज......नल......मुब्लिक......निल......बाबत्......निल......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28.5.2028 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया